न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारीः श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 16/2011

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
शिवप्रकाश पुत्र जगदीश ब्राह्मण निवासी रोहट जिला पाली (राज.)		1. ग्राम पंचायत, रोहट जरिये सरपंच 2. बिहारीलाल पुत्र बागुमल अरोड़ा खत्री, निवासी दिल्ली हाल रोहट तहसील रोहट जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–
श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता प्रार्थी
अप्रार्थी संख्या 2 अनुपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 15.01.19

यह निगरानी प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 के अन्तर्गत विरूद्ध ग्राम पंचायत रोहट के प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 02.11.1966 के जरिए पट्टा संख्या 3 मिसल सख्या 675 दायरा दिनांक 31.12.1965 कायम कर अप्रार्थी संख्या 2 बिहारीलाल पुत्र बागुमल अरोड़ा खत्री, निवासी दिल्ली हाल रोहट तहसील रोहट जिला पाली (राज.) के पक्ष में जारी पट्टा व प्रस्ताव निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस व ग्राम पंचायत का रेकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 का नोटिस तामील नहीं होने पर प्रचलित समाचार पत्र दैनिक भास्कर के जालोर, सिरोही, पाली संस्करण एवं राष्ट्रीय संस्करण में साया करवाया गया। उसके बावजूद भी अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी द्वारा वक्त बहस कथन किया गया कि ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार मात्र आबादी भूमि में ही है। जबकि जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत रोहट द्वारा ग्राम रोहट के खसरा नम्बर 478 गैर मुमकिन रास्ते की भूमि में जारी किया गया है। जो ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से स्पष्टतया खारिज योग्य है। अपने कथनों की ताईद में वकील प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 478 गैर मुमकिन रास्ते होने बाबत नकल जमाबन्दी संवत् 2058–60 नकल नक्शा की फोटो प्रति ग्राम पंचायत रोहट द्वारा तहसीलदार रोहट को उक्त गैर मुमकिन रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 478 पर किए गए अतिक्रमण को हटाने हेतु लिखे गए पत्र कमांक पंचायत/अति./04/618 दिनांक 18.11.2004 की प्रति के साथ ही तहसीलदार रोहट द्वारा धारा 91 भू. राजस्व अधिनियम के तहत जारी नोटिस की फोटो प्रति भी पेश की गई।

वकील प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत रोहट के पत्र कमांक ग्रा.प.रो./56 दिनांक 28.04.2011 तथा पत्रांक ग्रा.प.रो./2018/76 दिनांक 23.03.2018 का हवाला देते हुए

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

निवेदन किया कि उक्त पत्रों में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत में किसी प्रकार का रेकर्ड उपलब्ध नहीं होना जाहिर किया है। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा पट्टा प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत में प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया, न ही निर्धारित फीस जमा कराई गई। ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली कायम नहीं की गई, न ही वार्ड पंचों द्वारा मौका निरीक्षक ही किया गया, न उनके द्वारा भूमि विक्रय हेतु राय ही प्रकट की गई तथा भूमि का विक्रय विलेख जारी करने हेतु आपत्ती इश्तिहार जारी नहीं किया गया, जबकि उपरोक्त समस्त प्रक्रियाओं का ग्राम पंचायत द्वारा अपनाए जाने का आज्ञापक प्रावधान है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ग्राम पंचायत रोहट द्वारा जारी पट्टा खारिज किया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत में रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने बाबत पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में उल्लेखित आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई तथा रेकर्ड पंचायत में उपलब्ध नहीं होने से प्रकरण में पंचायती राज नियमों की पालना बाबत विधि सम्मत समीक्षा किया जाना संभंव नहीं होने से प्रथम दृष्टया ही संदेहास्पाद प्रतीत होता है तथा वकील प्रार्थी के कथनानुसार जैर निगरानी पट्टा ग्राम रोहट के खसरा नम्बर 478 किस्म गै0मु0 रास्ता की भूमि में जारी किया गया है तथा इस सम्बन्ध में उन्होनें पट्टे की फोटोप्रति के साथ खसरा नम्बर 478 गै0मु0 रास्ते की जमाबन्दी सम्वत् 2058 से 2061 की प्रति, ग्राम पंचायत रोहट द्वारा तहसीलदार रोहट को प्रेषित पत्र क्रमांक/पंचायत/अति./2004/618 दिनांक 18.11.2004 की प्रति, जो उक्त भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु निवेदन किया गया तथा न्यायालय तहसीलदार रोहट द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दायर विभिन्न प्रकरणों में जारी नोटिसेज़ की प्रतियां प्रस्तुत की। जिनसे ग्राम पंचायत रोहट द्वारा जारी विक्रय विलेख रास्ते की भूमि में जारी किये जाने से उसे यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं हैं।

परिणाम स्वरूप ग्राम पंचायत रोहट द्वारा जारी विक्रय विलेख संख्या 3 जो मिसल संख्या 675/1965 एवं प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 02.11.1966 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया, उसे अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत रोहट को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.01.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलक्टर, पाली

जिला कलक्टर
पाली (राज.)
15/1/19